Court Case No - 148/2026.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फा. सं.: **NCST/DEV-2337/DN/4/2023-RO-BH**

श्री प्रियंक किशोर,
कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-दादरा और नगर हवेली, सिलवासा,
कार्यालय जिला कलेक्टर, सिलवसा,
दादरा और नगर हवेली-396230 ,
ई-मेल: collector-dnh@nic.in
collector-dnh@ddd.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) के समक्ष **दिनांक 23.07.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष-I, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में** आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. पूर्वजों के समय से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के सम्बंध में श्री सोन्या बबन भुरकूड, मु. सेल्टी, भुरकूडपाडा, पो. सेल्टी, गोरतपाडा, सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली से प्राप्त दिनांक 13.09.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 2. आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 03.11.2023 (प्रति संलग्न).

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 13 **, जुलाई, 2026** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

प्रवीन्द्र कान्त

न्यायालय अधिकारी

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003